

२५/८
२०

पत्रावली पत्रे हृष्टे वादी मय डाक्यो इत्ये
वकील वादीन अन्तर्गत आदेश-२३ नियम जेरुजालीम
जावदो सपदिता च्यास १५१ जावदो का
प्राथना पत्र पत्रे कुर निवदेन किया कि
वादी एवं प्रातवादीगम के मध्य राजीनामा
के गुणा है इसलिये वादी अपने वाद को
आगे नही चलाकर इसी स्टेज पर विद्वान
कर खारिज कराना चाहता है। वकील
वादी का वाद विद्वान वाक्य प्राथना पत्र
स्वीकार किया जाकर वादी का वाद
इसी स्टेज पर विद्वान कर खारिज
किया जाता है। पत्रावली कुल शुभा
द्वार मन्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
जिम्बाहेडा (राज.)

